

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)



समस्त पत्र-व्यवहार कुलसचिव को सम्बोधित किया जाए, किसी अन्य अधिकारी के नाम से नहीं। सम्बोधित विषय में यदि पूर्व में पत्र-व्यवहार हुआ हो तो उसके क्रमांक और दिनांक का अनिवार्यतः उल्लेख किया जाना चाहिए, अन्यथा कार्यवाही करने में कठिनाई होगी।

कमॉक / अधि.छा.क. / 2018 / 69

फैक्स : 0761-2603752

दूरभाष : कार्यालय : 2600785

निवास : 2602606

पी.ए.बी.एक्स. : 2600567, 68, 69

ई-मेल- rdvcc1@rediffmail.com

जबलपुर दिनांक- 05.06.18

विज्ञप्ति

प्रायः विभिन्न छात्र संगठनों/सामाजिक संगठनों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के विश्वविद्यालय में अपनी मॉगों, के संबंध में ज्ञापन सौपा जाता है। जिससे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है साथ ही छात्र संगठनों/सामाजिक संगठनों को भी ज्ञापन देने हेतु अनावश्यक प्रतीक्षा करना पड़ती है।

अतः ज्ञापन देने से पूर्व नियमानुसार एक दिन अर्थात् 24 घंटे पूर्व पुलिस प्रशासन/जिला प्रशासन (नगरदण्डाधिकारी) से सक्षम स्वीकृति(लिखित रूप में) प्राप्त कर ही विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौपने की प्रकिया सुनिश्चित करें। जिससे छात्र संगठनों/सामाजिक संगठनों से विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो सके।

कुलपति जी के आदेशानुसार

(डा.बी.भारती)
कुलसचिव

पू.कमॉक / अधि.छा.क. / 2018 / 69 (37)

जबलपुर दिनांक- 05.06.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित -

1. विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षण विभागों को
2. परीक्षा नियंत्रक
3. वित्त अधिकारी
4. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा)
5. समन्वय, आई.क्यू.ए.सी.
6. मीडिया प्रभारी, पत्रकारिता विभाग
7. कुलपति/कुलसचिव जी के निज सहायक
8. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा जबलपुर संभाग जबलपुर
9. पुलिस अधीक्षक जबलपुर/जिलाध्यक्ष जबलपुर
10. थाना प्रभारी, थाना सिविल लाइन जबलपुर
11. सम्पादक महोदय दैनिक- जबलपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को अपने आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

अधि.छा.क.
छात्र कल्याण विभाग,